संख्या- 1/2018/सा-3-798/दस-2017/308/2016

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 01 जनवरी, 2018

विषय:- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन वर्ष 2016 के पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

वर्ष 2016 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन का दिनॉक 01-01-2016 से संशोधन किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में शासनादेश संख्या-23/2017-सा-3-329/दस-2017/308/2016, दिनॉक 18 जुलाई, 2017 एवं संख्या-31/2017-सा-3-524/ दस-2017/308/2016, दिनॉक 04 सितम्बर, 2017 निर्गत किये गये हैं।

2- शासनादेश संख्या-39 / 2016 -सा -3-923 /दस-2016-308/2016, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-12 में यह व्यवस्था की गयी है कि न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं व राज्य सराकर द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं जिनके पेंशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन / पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी।

3- शासनादेश संख्या-39 / 2016 - सा - 3- 923 /दस- 2016 / 308 / 2016, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-2/2016-सा-3-86/दस-2017/308/2016, दिनॉक 20 फरवरी, 2017 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के दिनांक 01-01-2016 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों जिन्हें राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य दरों पर पेंशन/ पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है तथा जिनकी पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागार से किया जा रहा है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षण / अभिनवीकरण सम्बन्धित कोषागारों द्वारा शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016/308/2016, दिनॉक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासनादेश संख्या-23 / 2017 - सा- 3- 329 / दस- 2017 /308/2016, दिनांक 18 जुलाई, 2017 का प्रस्तर-13 नीचे उद्धृत किया गया है :-

"यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों/ संविधिक संस्थाओं/ परिषदीय विद्यालयों / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थांओं / स्वायत्तशासी संस्थाओं के पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे। इन संस्थाओं के पेंशनरों के संबंध में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।"

5- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-13 जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, में परिषदीय विद्यालयों / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थांओं का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है। अत: शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 के प्रस्तर-13 में से "परिषदीय विद्यालयों / सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थांओं " वाक्यांश को सदैव से विलोपित समझा जाये। शासनादेश दिनांक 18 जुलाई, 2017 उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

संख्या- 1/2018/सा-3-798(1)/दस-2017/308/16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वाँ तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
9- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेशन, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in